

कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

[OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082]

[e-mail-dfo_ bsp@rediffmail.com]

क्रमांक/तक./326.....

बिलासपुर, दिनांक 28/02/23

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :-

Nagpur-Jharsuguda Pipeline (MNJPL Project) : Diversion of 0.0191 Ha. of Forest land in Bilaspur Forest Division for laying of underground Natural Gas Pipeline along with Optical Fiber Cable (OFC) from Nagpur to Jharsuguda (under MNJPL Project) through Reserved Forest/ Protected Forest/Revenue Forest in Chhattisgarh State.- Request for diversion of forest land.

संदर्भ :-

1. अ.प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध/व.सं.अ.) रायपुर का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.- 115-934/2141 दिनांक 19.09.2022
2. उप महाप्रबंधक (निर्माण), गेल इंडिया लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्र./GAIL/MNJPL/CHH./DFO/Bilaspur/Com./2023 दिनांक 10.02.2023

—00—

विषयांतर्गत संदर्भ क्र. 01 के द्वारा परियोजना अंतर्गत खैरागढ़, बलौदाबाजार, बिलासपुर, कोरबा, जाँजगीर-चांपा एवं रायगढ़ वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रभावित वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु पंजीयन क्र. FP/CG/Other/154619/2022, रकबा 15.6909 हे. आबंटित किया गया है। खैरागढ़ वनमंडल एवं मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग उक्त प्रकरण हेतु नोडल अधिकारी है।

परियोजना अंतर्गत प्रभावित होने वाली वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु रकबा 15.6909 हे. का वन प्रकरण प्रस्ताव संदर्भ क्र. 02 के माध्यम से प्राप्त हुआ है। वन प्रकरण प्रस्ताव का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षण उपरांत चेकलिस्ट के बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	अभिलेख का विवरण	आवेदक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण विवरण
	GOI (MOEF) से संबंधित अभिलेख	
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 1) योजना अंतर्गत कुल प्रभावित भूमि का रकबा 15.6909 हे. है। प्रस्ताव में चेक लिस्ट क्र. 01 में दर्शाया गया है।
2	प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वृत्त कोड/वनमंडल कोड/शाखा कोड/वर्ष/पंजीयन क्रमांक)	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 2) ऑनलाईन पंजीयन पत्र संलग्न कर दिया गया है।
3	वन क्षेत्र विवरण	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 3) सही है।
4	गैर वन क्षेत्र विवरण	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 4-5) अधिग्रहित किये जाने वाले गैर वन भूमि का राजपत्र संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोग्राफी 1:50000 स्केल पर	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 6) संलग्न है।
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 7) संलग्न है।
7	प्रपत्र 4 में प्रस्ताव	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 8 से 13) निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर दिया गया है।



8	प्रोजेक्ट पर संक्षिप्त टीप	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 14 से 18) संलग्न है।
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र। (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी, देय होगी) नए यूनियन बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली के बचत खातों का विवरण संलग्न है।	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 19) वचन पत्र संलग्न है।
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र।	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 20) वचन पत्र संलग्न है।
11	पर्यावरण संरक्षण क्लीरेंस प्रमाण पत्र (जिन प्रकरण में लागू न हो उसके भारत सरकार का परिपत्र लगा कर उल्लेख करें) सिंचाई के प्रकरण में 10,000 हे. तक में राज्य पर्यावरण प्रदूषण मंडल से स्वीकृति (भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006) इससे अधिक में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली से लिया जाना आवश्यक है।	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 21) पर्यावरण संरक्षण क्लीरेंस प्रमाण पत्र प्रकरण में लागू नहीं होता निर्देश संलग्न है।
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र- अ एवं ब में)	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 22 से 23) संलग्न है।
13	कास्ट बेनिफिट एनालिसिस	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 24 से 26) संलग्न कर दिया गया है।
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) राजस्व वन क्षेत्र (संलग्न प्रपत्र में अधिसूचना मय नक्शा प्रस्ताव तथा 03 प्रति में पृथक से वन संरक्षक के हस्ताक्षर एवं सील सहित आवेगा)	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 27 से 28) संलग्न है।
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 29) संलग्न है।
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अन. मुद्रित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के) साथ 7 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश, देशांश, प्रजाति विवरण सहित) जो असिंचित क्षेत्र चयनित होगा उसका वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र पृथक से आवेगा।	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 30) प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित है। वचन पत्र संलग्न है।
17	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 31) प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित है। वचन पत्र संलग्न है।
18	अधिनियम उल्लंघन अन्तर्गत कार्यों का विवरण	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 32) वचन पत्र संलग्न है।
19	अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 33) वचन पत्र संलग्न है।
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 34) वचन पत्र संलग्न है।
21	गैर वनभूमि अनुपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 35) प्रस्तावित क्षतिपूर्ति स्थल खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत राजस्व भूमि है। फलस्वरूप प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 36) वचन पत्र संलग्न है।

23	रिव्लेमेशन प्लान	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 37) वचन पत्र संलग्न है।
24	माइनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल माइनिंग प्रकरण में)	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 38) लागु नहीं होता वचन पत्र संलग्न है।
25	व्यवस्थापन प्लान	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 39) व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। वचन पत्र संलग्न है।
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 40 से 55) संलग्न है।
27	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 56) ऐतिहासिक स्थल प्रभावित नहीं होता इस संबंध में आवेदक द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 57) आवेदक विभाग द्वारा वचन पत्र संलग्न किया गया है कि प्रथम चरण स्वीकृति के पश्चात संलग्न किया जावेगा। निर्देश संलग्न किया गया है।
29	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 58) संलग्न है।
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन रकबा हैं.	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 59) संलग्न है।
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Category की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे.में।	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 60) संलग्न है।
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्ताव. वित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का वन विभाग का पत्र क्र. क/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 61) आवेदक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। जिसकी पुष्टि जियोमेटिक सेंटर बिलासपुर से कराना जाना है।
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 62) लागु नहीं होता।
34	वन अधिनियम मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 10-9/1998-FC दिनांक 12.05.2007	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 63 से 66) आवेदक विभाग द्वारा एफ.आर.ए. के लिये कलेक्टर बिलासपुर को लेख किया गया है।
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25.05.2007	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 67 से 69) प्रमाण पत्र संलग्न है।
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र।	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 70) वचन पत्र संलग्न है।
37	Clearance under FC Act, 1980 Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA Remittances to precede 2nd stage clearance, (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 7-1/2004(CAMPA) Meeting 3068 दिनांक 24.02.2010)	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 71) वचन पत्र संलग्न है।
38	"A detailed note on Soil Productivity or the lack of it" (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC013/2008BHO/357 दिनांक 06.01.2011	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 72) वचन पत्र संलग्न है।

39	परियोजना की किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र। (भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक FNo. 2-1/2003-FC दिनांक 06.01.2011)	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 73) वचन पत्र संलग्न है।
40	Diversión of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (Conservation) Act. 1980-Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) (भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक FNo. 11-9/1998-FC दिनांक 04.01.2011)	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 74) वचन पत्र संलग्न है।
राज्य शासन से संबंधित अभिलेख		
41	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31.07.2009)	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 75 से 77) संलग्न है।
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में)	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 78) वचन पत्र संलग्न है।
43	विद्युत लाइन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6CHC 022/2010-BHO/934 दिनांक 24.05.2010)	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 79) लागु नहीं होता।
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण	(बिलासपुर वनमंडल प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 80) 1. पाईप लाईन कारीडोर ऑफ गेल अलाइनमेंट नक्शा - 01 नग। 2. अल्टरनेट रूट मैप - 02 नग। 3. MNJPL-2nd मैप - 01 नग

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Parivesh Portal पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रथम चरण की स्वीकृति के अनुशंसा हेतु प्रस्ताव 04 प्रतियों में संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :- 1. परियोजना प्रतिवेदन 04 प्रति।
2. नक्शा - 04 सेट।
2. Part-II रिपोर्ट छायाप्रति।
3. टाईम लाईन की छायाप्रति।

पृ.क्र./तक./ 327
प्रतिलिपि :-

1. अ.प्र.मु.व.सं.(भू-प्रबंध/व.सं.अ.), छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. वनमंडलाधिकारी, खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप महाप्रबंधक (निर्माण), गेल इंडिया लिमिटेड, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- शून्य।

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)
बिलासपुर दिनांक 28/02/23

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)